20

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

8

प्र0 क्र0 विविध दो / 16 विविध 9067-II/16

परवतिया (मृतक) पुत्री स्व. नरबदिया काछी

वारिसान

1– हीरावाई पुत्री स्व. परवतिया काछी

2– रज्जू पुत्र स्व. परवतिया काछी

दोनों निवासी नरसिंह पुरवा, छतरपुर

– –आवेदकगण

विरुद्ध

म0प्र0 शासन ––अनावेदक

(आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–32 सहपठित धारा 56, मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 – न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा रिव्यु प्र0क0 1563–तीन / 2014 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2015 का पालन कराये जाने बावत् ।)

माननीय न्यायालय,

विविध आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

1– यह कि आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की मौजा बगौता स्थित सर्वे क्रमांक 1840 / 3 रकवा 1.21 एकड़ भूमि है। उक्त भूमि पर नामांतरण कराने के लिये विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित रहे तथा माननीय राजस्व

Appendix(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 9067–दो/2016 विविध जिला छतरपुर

कार्यवाही तथा आदेश

8.8.16 यह विविध आवेदन राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1563–तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 का तहसीलदार व्दारा पालन न करने के कारण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 सहपठित 56 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि मौजा बगौता स्थित भूमि सर्वे नंबर 1840/3 रकबा 1.21 एकड़ उनके पूर्वजों के जमाने से नाम चली आ रही है एंव इस भूमि को राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1563–तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 से आवेदकगण की होना माना है किन्तु तहसील–स्तर के अधिकारियों व्दारा राजस्व मण्डल के आदेश का पालन न करते हुये शासकीय अभिलेख में सुधार नहीं किया जा रहा है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 1563–तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 15–6–2015 के विरुद्ध कलेक्टर छतरपुर की ओर से

माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कराने का निर्णय लिया है किन्तु जब तक माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं होता है, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1563-तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2015 का पालन विचारण न्यायालय को करना अनिवार्य है। अतः विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1563-तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 15-6-2015 का पालन कराया जाय।

सदस्य